कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 333 / 36c   दिनांक 27 / 02 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:-- कुलिंग से दिदिना मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं0-- FP/UK/ROAD/145990/2021/

सन्दर्भ:-- आपका कार्यालय का पत्रांक सं0 3946 / 12--1 दिनांक 08.02.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव आपत्तियों के निराकरण हेतु इस खण्ड को वापस लौटाया गया है, जिसके अनुपालन में निम्नलिखित आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार निम्वत है।

क्रम सं0	प्रस्ताव में कमियाँ	निराकरण
1	प्रस्तावित मोटर मार्ग में कोई स्थाई / अस्थाई भू-चिन्हांकन/पिलरबन्दी नहीं की गई जिससे प्रभावित होने वाले वृक्षों की वास्तविक सं0 का पता नहीं लग रहा है। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में भू-चिन्हांकन व पिलरबन्दी कराने हेतु प्रस्तावक विभाग को निर्देशित करें ताकि वास्तविक रूप से प्रभावित वृक्षों की सं0 पता लगे व कम से कम वृक्षों की क्षति हो। उक्तानुसार भू-चिन्हांकन व पिलरबन्दी उपरान्त प्रभावित वृक्षों की सूची पुनः प्रस्तुत करें तथा वैकल्पिक संरेखण का भी पुनः परीक्षण करें।	प्रस्तावित मोटर मार्ग लेबिल पिलर एवं बैंक कटिंग पीलर 25-25 मी0 दूरी पर बना दिये गये है
2	प्रत्येक पिलर का क्रमांक सहित प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण प्रस्तावक विभाग तथा वन विभाग द्वारा निम्नप्रकार संधारित किया जाए। (क) प्रस्तावक विभाग 25 मी0 की दूरी पर प्रत्येक पीलरों का रिकार्ड रखेगा जिसमें ढाल तथा पिलर की दूरी अवश्य अंकित की जाए। (ख) वन विभाग प्रत्येक पिलर के मध्य प्रभावित होने वाले वृक्षों(प्रजातिवार, व्यास वर्गवार) भूमि (आरक्षित सिविल पंचायती नाप) का पूर्ण विवरण संधारित करेंगे।	प्रत्येक पिलर पर क्रमांक सहित Xs.No. अंकित कर दिए गये है।
3	पूर्व में थराली से प्राण लगभग 52 किमी0 की सड़क पूर्व से निर्मित हो रखी है तथा उक्त स्थल से दिदिना की	कुलिंग से दिदिना की पैदल दूरी 5 किमी0 है एवं उक्त मोटर मार्ग की रोड से

	दूरी लगभग 5 किमी0 बताया गया है प्रस्तावित मार्ग का विस्तृत औचित्य प्रस्तुत किया जाए।	दिदिना की दूरी 9.5 किमी0 प्रस्तावित है।
4	प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई 9.5 में प्रस्तावित की गई है जबकि दिदिना तक की दूरी 5 किमी0 बताई गई है उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई को न्यून करने पर विचार किया जाए।	प्रस्तावित मोटर मार्ग का अन्य विकल्प न होने के कारण मोटर मार्ग की ल0 9.50 किमी0 में प्रस्तावित है।
5	प्रस्ताव के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 132 वृक्ष बांज प्रजाति के प्रभावित होगे जबकि प्रभावित होने वाले वृक्षों के विवरण में बांज प्रजाति के 134 वृक्ष अंकित किये गये है के सम्बन्ध मे स्थिति स्पष्ट करें।	प्रस्ताव के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में टंकण त्रुटिवश 132 वृक्ष बांज प्रजाती के अंकित किये गये है जो वासतविक में 134 वृक्ष है प्रस्ताव के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में सही कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव में न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने के प्रमाण पत्र में उल्लेख किया जाए की प्रभावित वृक्षों में से कितने वृक्षों का पातन किया जायेगा।	548 वृक्षों का पातन किया जाना है जिसका उलेख प्रस्ताव के प्रपत्र सं0 2.18 में अंकित कर दिया गया है।
7	प्रस्ताव में भू–वैज्ञानिक आख्या संलग्न नहीं की गई है।	प्रस्ताव में भू–वैज्ञानिक आख्या संलग्न कर दी गयी है।
8	प्रस्ताव में कतिपय प्रपत्र पठनीय नही है तथा उनमें सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का नाम/मुहर भी नहीं है। अतः पूर्ण प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए पठनीय प्रपत्र सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के नाम/मुहर सही करवाए।	प्रस्ताव में बिन्दु सं0 8 का निराकरण कर दिया गया है।
9	प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रस्तावक विभाग द्वारा मलवा निस्तारण हेतु 0.190 हे0 आरक्षित वन भूमि व 0.207 हे0 सिविल वन भूमि में लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित करना है कि मलवा निस्तारण स्थल वन भूमि से अन्यत्र भूमि में लिया जाए।	मलवा निस्तारण हेतु ग्राम कुलिंग से दिदिना के मध्य कोइ भी नाप भूमि उपलब्ध नहीं है।
10	भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं0 FC-11/43/2021-FC दिनांक 13.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है। a- In respect of linear projects the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of wildlife Management Plan and soil and moisture conservation plan as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022 will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans whichever is more should be charge from the user agency.	वन विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना है।

	b- The provisions of Wildlife Management Plan and soil moisture conservation plan shall be approved by the competent authority in the state and accordingly the deficit amount if any from the money already realized from to the tune of 2% and or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved shall be paid by the user agency and the same shall be deposited in to the CAMPA account.	
11	प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है कि सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग के स्तर पर पूर्व में स्वीकृत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष कोई भी देनदारी लम्बित नहीं है।	वन विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना है।
12	प्रस्ताव में लाभान्वित गांव दिदिना मे परिवारों की सं० 49 जिनकी 244 अंकित की गई उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाए की वर्तमान समय में गांव में कितने परिवार व कितनी जनसंख्या निवास करते है व कितने परिवार व जनसंख्या पलायन कर चुकी है का विवरण देते हुए परिवारों की संख्या व जनसंख्या का स्रोत भी दिया जाए।	वर्तमान समय में कुलिंग दिदिना में 82 परिवार पंजिका में अंकित है जिसकी आबादी 330 है तथा सरकार द्वारा 65 परिवार को दिदिना में विस्थापित किया गया है। जिसमें से 8--10 परिवार बाहर पलायन कर चुके है।

~~संलग्नक— 1. वन भूमि प्रस्ताव 4 मूल प्रतियों में।~~

O/C

27-2-24
अधिशासी अभियन्ता
नि०खं० लो०नि०वि०
थराली चमोली

पत्रांक /36 सी० दिनांकित / /

प्रतिलिपि:— सहायक अभियन्ता द्वितीय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रतिलिपि:— खण्डीय अमीन/कनिष्ठ अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

O/C

27-2-24
अधिशासी अभियन्ता
नि०खं० लो०नि०वि०
थराली चमोली।

Scanned with OKEN Scanner